डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 06/2025-26 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा /20010/एमवाईटीपी/एनएमआईएएल/नवीं मुम्बई/2025-26

भारतीय विमानपत्तनआर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 06/2025-26

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003,

जारी करने की तारीख: 20.06.2025

विषय: नवीं मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (एनएमआईए) पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

पृष्ठभूमि :

1 नवीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एनएमआईएएल) ने नवीं मुंबई (एनएमआईए) में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा बनाने के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर 8 जनवरी, 2018 को सिटी एंड इंडस्ट्रियल डवेलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) के साथ नियत तारीख अर्थात 7 जुलाई, 2018 से 30 वर्ष की अवधि के लिए रियायत करार किया। इस अवधि को रियायत करार की शर्तों के अधीन आगे 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

नवीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एनएमआईएएल, रियायतग्राही) नवीं मुंबई, महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर स्थापित विशेष प्रयोजन माध्यम है। एनएमआईएएल का स्वामित्व मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) [74% शेयरधारिता] और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डवेलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) [26% शेयरधारिता] के पास है।

मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए) नामक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पहले से ही है, जिसका प्रचालन एमआईएएल द्वारा किया जा रहा है। सीएसएमआईए के विस्तार के लिए भूमि और हवाई दोनों क्षेत्रों की बाधाएँ हैं, और इस कारण से, सीएसएमआईए के साथ-साथ मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर) की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे हवाईअड्डे की आवश्यकता महसूस की गई। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का प्रचालन शुरू होने के बाद, मुंबई में दोहरी हवाईअड्डा पारिस्थितिकी प्रणाली होगी और यात्रियों को दोनों में से किसी भी हवाईअड्डे से उड़ान भरने का विकल्प होगा।

आदेश

6 प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

i) नवीं मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एनएमआईएएल) को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से **31.03.2026 तक,** या, प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, **संलग्नक- बी (बी1, बी2 और बी3)** के अनुसार वैमानिक सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

ii) वायुयान नियम,1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1)(बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्द्वारा **संलग्नक – बी (बी1)** में दिए गए दर कार्ड में इंगित किए अनुसार तदर्थ आधार पर प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) की दर निर्धारित करता है।

(i) यह आदेश एनएमआईएएल पर प्रचालन प्रारंभ होने से पहले सभी अपेक्षित विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर प्रभावी किया जाएगा।

(ii) ऊपर बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

कैप्टन बी.वी.जे.के शर्मा,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नवीं मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुम्बई-410206

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>

i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003

ii) नागर विमानन महानिदेशालय : एआईसी जारी करने के लिए